एम॰फिल॰ स्त्री अध्ययन उपाधि हेतु प्रस्तुत

लघु शोध-प्रबंध

सत्र: 2015-16

शोध-निर्देशिका

डॉ. सुप्रिया पाठक

विभागाध्यक्ष

शोधार्थी

अनुषा प्रियदर्शनी

पंजीयन संख्या: 2015/03/212/004

स्त्री अध्ययन विभाग

संस्कृति विद्यापीठ

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित)

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा- 442005 (महाराष्ट्र) भारत

अनुक्रमाणिका

प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र
आभार-पत्र

अध्याय : एक **1-19**

1.1 शोध प्रबंध का उद्देश
1.2 शोध प्रबंध की परिकल्पना /उपकल्पन
1.3 शोध प्रबंध की प्रासंगिकता
1.4 शोध की प्रासंगिकता
1.5 शोध की प्राविधि
1.5.1 गुणात्मक शोध प्राविधि
1.5.2 नारीवादी शोध प्राविधि
1.5.3 नारीवादी शोध प्राविधि
1.6 शोध की समय सीमा
1.7 शोध क्षेत्र
1.8 साहित्यिक पुनरावलोकन

अध्याय : दो **20-31**

2 सैद्धांतिक पृष्टभूमि
2.1 युद्ध और विकलांगता
2.2 यातायात और विकलांगता

अध्याय : तीन **32-51**
3 विकलांगता स्त्री एवं सामाजिक परिदृश्य
3.1 विकलांगता और सामाजिक उपेक्षा
3.2 विवाह,यौनिकता और दृष्टिबाधित महिलाएं
3.3 विकलांगता का आंदोलन और विकलांग महिलाएं

अध्याय: चार **52-58**
4 विकलांगता और राज्य की नीतियाँ

अध्याय : पांच **59-71**

5 अनदेखी दुनिया के अनुभव

5.1 अनदेखी महिलओं के अनदेखा कर दिए जाने की कहानी

5.2 परिणाम

संदर्भ सूची

परिशिष्ट

अध्याय एक

अध्याय एक

विकलांगता का विमर्श और दृष्टिबाधित महिलाए

परिचय

विश्व में लगभग करोड़ लोग विकलांगता के शिकार है 65और इन में आधी आबादी विकलांग महिलाओं की भी है। ये महिला हमसे किसी भी रिश्ते मे जुड़ी हो सकती है चाहे वो माँ का रिश्ता हो या दोस्त का या बेटी का या पत्नी का परन्तु इतनी सारी महिलाएं विकलांग होने के बावजूद भी वो समाज आतंरिक संरचना में दिखती नहीं है। यह महिलाएं अदृश्य है ,एक लम्बी चुप्पी के साथ यह अपना जीवन व्यतीत करती है। यह अदृश्यता उनकी विकलांगता की वजह से नहीं है बल्कि समाज कि उपेक्षा की वजह से है। उनकी अस्तिव का ना होने का आभास समाज पल –पल उन्हें करवाता रहता है। विकलांगों मे भी जेंडर विभेद की काली गहरी अँधेरी रात बनी हुई है। पितृसत्तात्मक समाज एक कठोर प्रहरी की तरह उनके जीवन पर नजर बनाये रखता है। विकलांगता एक रोग नहीं बल्कि एक सोच है अगर कोई विकलांग व्यक्ति यह सोच ले कि उसे जीवन में , अपनी पहचान बनानी है तो विकलांगता उसके रास्तें की बाधा बिलकुल भी नहीं बन सकती।विकलांगता एक व्यापक शब्द है जो किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, ऐन्द्रिक, बौद्धिक विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है। इसके लिए 'अशक्तता', 'नि:शक्तता' (विधि), 'अपंगता', अपांगता' आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है।

विकलांगता को समाज एक अभिशाप मानता है क्योंकि मनुष्य हमेशा से ही स्वस्थ और सुंदर समाज की कल्पना करता आया है और उस सुंदर समाज में उन्हें विकलांगता एक धब्बे की तरह नज़र आती है। 2001 की जनगणना से पहले विकलांग व्यक्तियों को जनगणना में शामिल ही नहीं किया जाता था लेकिन 2001 की जनगणना में पहली बार विकलांगों को शामिल किया गया इस जनगणना,के अनुसार भारत में 2.19 करोड़ व्यक्ति विकलांगता के शिकार हैं जो कुल जनसंख्या के 2.13 प्रतिशत हिस्सा है। इनमें से 75 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तथा 49 प्रतिशत विकलांग व्यक्ति साक्षर हैं और उनमें से भी सिर्फ 34 प्रतिशत व्यक्तियों को ही रोजगार प्राप्त है। विकलांगों की इस जनसंख्या में 9301 लाख महिलाएं भी हैं। जो कि कुल विकलांगों की आबादी का 4246 प्रतिशत हिस्सा निर्मित करती हैं। विकलांगता एक ऐसा विषय है जिसको समाज ने कभी गंभीरता नहीं लिया। समाज जिसे भी निचले दर्जे का मान लेता है उसके प्रति उदासीन रवैया अपना लेता है – चाहे वो भिखारी हो या महिला या फिर विकलांग। विकलांग महिला और

पुरुषों की स्थिति में यदि तुलना की जाए तो यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि यहाँ भी असमानता व्याप्त है। विकलांग महिला वर्ग, जाति और जेंडर द्वारा शोषित तो हो ही रही होती है लेकिन साथ ही विकलांग स्त्री होने का अभिशाप झेलने को भी बाध्य होती

अनीता घई कहती है कि

'किसी गरीब परिवार में पुत्र अगर विकलांग हो तो वह फिर भी यथा संभव उसके भविष्य निर्माण हेतु प्रयासरत रहेंगे लेकिन वहीं यदि पुत्री विकलांग है तो उसके लिए बुनियादी सुविधा भी मुहैया नहीं कराते हैं। (harshey, 2003)

स्त्री की अमूल्य निधि उसकी कोख मानी जाती है लेकिन विकलांग महिलाओं की कोख को नियंत्रित करना भी परिवार और समाज का हक़ समझा जाता है और इसके लिए ये दलील दी जाती है कि अगर विकलांग महिला गर्भवती हुई तो कौन उसके बच्चों का लालन पालन करेगा। एक विकलांग महिला सिर्फ किसी विकलांग पुरुष से ही विवाह करे यह बाध्यता सिर्फ विकलांग महिलाओं के साथ ही है, लेकिन यह बाध्यता विकलांग पुरुष के लिए नहीं है। यानी यहाँ जेंडर आधारित विभेद देखने को मिलता है। विश्व के अनेक भागों में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है। वह समाज में दोयम दर्जे कि मानी जाती है और उनमें भी महिला यदि विकलांग हो तो वह पहले दूसरे कि दौड़ से ही बाहर होती

निवेदिता मेनन के अनुसार

'विकलांगता भारतीय महिला आंदोलनों में इसलिए भी जगह नहीं बना पायी क्योंकि महिला अपने होने पर ही शर्मिंदा थी तो विकलांग महिला के प्रति जागरूकता का सवाल ही नहीं पैदा होता है'।नारीवादी राजनीति संघर्ष) , 2013)

2007 में विश्व बैंक ने सर्वे करवाया जिसमें यह प्रश्न रखा गया कि विकलांगता क्यों होती है? इस सर्वे में 50 प्रतिशत लोगों ने यह माना कि पूर्वजन्म के पापों की वजह से अगले जन्म में विकलांग लोग पैदा होते हैं। पहले की तरह मेडिकल पुनर्वास पर जोर डालने की बजाए अब सामाजिक पुनर्वास पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। विकलांगों की बढ़ती योग्यता की पहचान की जा रही है, और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किए जाने पर बल दिया जा रहा है। भारत सरकार ने विकलांगों के लिए तीन कानूनों को लागू किया है, जो इस प्रकार हैं:-

- विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सुरक्षा तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जो ऐसे लोगों को शिक्षा, रोजगार, अवरोधमुक्त वातावरण का निर्माण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि प्रदान करता है।

- ऑटिज्म, सेरीब्रल पाल्सी, मानसिक मंदबुद्धि व बहुविकलांगता के लिए राष्ट्रीय कल्याण ट्रस्ट अधिनियम 1999 में चारों वर्गों के कानूनी सुरक्षा तथा उनके स्वतंत्र जीवन हेतु सहसंभव वातावरण के निर्माण का प्रावधान है।
- भारतीय पुनर्वास परिषद् अधिनियम 1992, पुनर्वास सेवाओं के लिए मानव-बल विकास का प्रयास करता है। राष्ट्रीय नीति मानता है कि विकलांग व्यक्ति देश के लिए मूल्यवान मानव संसाधन होते हैं, तथा यह ऐसे व्यक्तियों को समान अवसरों, उनके अधिकार की सुरक्षा तथा समाज में पूर्ण भागीदारी का प्रयास करती है।यह देखने योग्य बात होगी की राज्य की ये नीतिया विकलांग व्यक्तियों के लिए अब तक कितनी लाभदायक हुई है। (http://www.disabilityaffairs.gov.in)

प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के हजारो रंगों को अपनी आँखों से देखता है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने सामने वाले इंसान का चेहरा देख कर उसकी भावनाओ को भाप जाता है लेकिन इसके ठीक विपरीत इन रंगों को देखने के लिए अगर आँखों की रौशनी ही न हो तो क्या व्यक्ति का जीवन निर्थक मान ले? क्या मन की आंखो से देखने वालों का समाज मे कोई महत्व नहीं हैं। इन दृष्टिहीन व्यक्तियों मे अगर कोई महिला दृष्टीहीन हो तो क्या यह मान ले कि वह महिला अपने परिवार और समाज के लिए बोझ है? उसे अपने को मनुष्य समझने का अधिकार है या नहीं ह?

Susan Wendell के अनुसार

"विकलांग व्यक्ति सिर्फ समाज से यह आशा रखता है कि समाज उसे एक इंसान की तरह जाने न कि किसी विकलांग व्यक्ति के समूह के सदस्य के रूप में वह भी एक मनुष्य है और उन्हे भी बस एक मनुष्य ही माना जाए"। (wendell, summer 1989)

प्रस्तुत शोध विकलांग महिलाओं के प्रति परिवार एवं समाज का व्यवहार उनके प्रति रवैया का अध्ययन एवं विश्लेषण करना है

❖ शोध प्रश्न :-

- क्या विकलांगता सामाजिक सरोकार का मुद्दा बन पाया है ?
- स्त्रियों में विद्यमान विकलांगता के प्रति पारिवारिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण क्या है ?
- क्या राज्य ने विकलांग स्त्रियों के लिए कोई सकारात्मक पहल अपनी नीतियों क़ानूनों एवं पुनर्वास हेतु की है ?

• दृष्टिहीं स्त्रियों के स्वयं के जीवन अनुभव क्या हैं ?

❖ **शोध का उद्देश्य :-**

- विकलांगता संबंधी सामाजिक सरोकारों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
- समाज एवं परिवार में विकलांग (दृष्टिहीन) स्त्रियों की स्थिति का अध्ययन करना।
- सरकार की नीतियों एवं कानून की जानकारी प्राप्त करना।
- दृष्टिहीन स्त्रियों के जीवनानुभवों का दस्तावेजीकरण करना।

❖ **शोध वक्तव्य//परिकल्पना :-**

- विकलांगता के प्रति समाज में उदासीन रवैया मौजूद है।
- विकलांग स्त्रियों का जीवन पुरुषों की अपेक्षा कष्टप्रद है।
- विकलांगता के प्रश्नों में जेंडर पूर्वाग्रह निहीत है।

❖ **शोध की प्रासंगिकता**

मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार प्रस्तुत शोध संभवतः इस विषय पर नारीवादी दृष्टिकोण से किया जाने वाला हिंदी माध्यम मे पहला शोध है।शोध की प्रासंगिकता इस बात में अंतर्निहीत है कि वर्तमान समय में समाज के विभिन्न तबकों के बारे में तो चर्चा होती है लेकिन विकलांगों के लिए किसी प्रकार का विमर्श नहीं हो रहा है। विकलांगों में भी महिला विकलांगों की तो दूर दूर तक कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है।विकलांग महिलाओं की सामाजिक स्थिति को जेंडर के दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है क्योंकि विकलांगता के साथ-साथ वह महिला भी है। एक विकलांग महिला किन-किन संघर्षों का सामना करती है इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन ज़रूरी है।

❖ **अंतरानुशासनिक प्रासंगिकता :-**

प्रस्तुत शोध संस्कृति विद्यापीठ के अंतर्गत स्त्री अध्यन विभाग में किया जाने वाला नारीवादी शोध होगा जिसकी अंतर्विषयक अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह शोध शिक्षा ,समाजशास्त्र ,सांस्कृतिक अध्यनों, विकास अध्यनों ,इतिहास ,समाज-कार्य आदि विषयों के अध्यन की दृष्टी से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

❖ **शोध प्रविधि :-** प्रस्तुत शोध नारीवादी शोध प्रविधि से किया जाने वाला शोध है।